प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं 612/2025

चंद्रकांत महिलांगे पिता श्री शिशपाल महिलांगे, 33 वर्ष, निवासी गाँव–चुनकट्टा (पितालुद) पोस्ट तथा पुलिस थाना–उताई तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (सी. जी.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती नागेश्वरी गहने पिता चंद्रकांत महिलांगे लगभग 29 वर्ष , निवासी जैतखंब ग्राम सांकरा पुलिस थाना तथा पोस्ट–सोम्नी तहसील तथा जिला–राजनंदगांव (सी. जी.)

-----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :श्री अमन तामराकर, अधिवक्ता।

माननीय श्री राकेश मोहन पांडे,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

08.07.2025

1. याचिकाकर्ता ने विद्वान प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग द्वारा प्रकरण क्रमांक 423/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.6.2024 को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के सेलफोन के कॉल विवरण अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश की मांग करने वाला आवेदन खारिज कर दिया गया है।

2. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि पक्षकारों का विवाह 4.7.2022 को ग्राम सांकरा, पुलिस थाना सोमनी, तहसील और जिला राजनांदगांव में हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार हुआ था।याचिकाकर्ता/पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(1□) के तहत विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की।यह अभिकथित किया जाता है कि उत्तरवादी/पत्नी विवाह के 15 दिन बाद अपने माता–पिता के घर गई और उसके तुरंत बाद

उसका व्यवहार काफी बदल गया।यह भी तर्क दिाय गया है कि उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता की माँ और भाई के साथ दुर्व्यवहार किया।यह कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में, उत्तरवादी फिर से अपने मायके गई और जब याचिकाकर्ता ने उससे संपर्क किया, तो उसने सीधे उसके साथ जाने से इनकार कर दिया।

3. याचिकाकर्ता ने 7.10.2002 को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की।इसके बाद, उत्तरवादी ने 14.10.2022 को राजनांदगांव के विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दं. प्र. सं. की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया और याचिकाकर्ता की माँ, पिता और भाई के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शुरू की।उत्तरवादी ने महिला थाना, राजनांदगांव में अपने ससुराल वालों के विरुद्ध परिवाद भी दर्ज कराई थी।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए एक याचिका दायर की।उत्तरवादी/पत्नी ने अपना जवाब दाखिल किया और तलाक याचिका में किए गए कथनों से इनकार किया गया।याचिकाकर्ता ने 24.1.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तरवादी के मोबाइल नंबर के कॉल विवरण अभिलेख(सीडीआर) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को उसके चरित्र पर संदेह है।इसी तरह का एक आवेदन 30.11.2023 को दायर किया गया था। इसके बाद, 12.10.2023 को, याचिकाकर्ता ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें अधिकारियों को उत्तरवादी के कॉल विवरण अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई।उत्तरवादी ने उक्त आवेदन में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए एक जवाब दायर किया। लिखित तर्क में, याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तरवादी अपने बहनोई (जीजा) से लंबे समय तक बात करती थी। यह भी अभिकथित गया था कि उत्तरवादी और उसके देवर के बीच अवैध संबंध हो सकते हैं, और इसलिए, मामले के निर्णय के लिए कॉल विवरण अभिलेख आवश्यक हैं।विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दिनांक 27.6.2024 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादी और उसके बहनोई के मध्य लगातार फोन कॉल होते थे, जो संभावित अवैध संबंध का संकेत देते हैं।उन्होंने आगे कहा कि व्यभिचार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए कॉल विवरण अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन शुरू में पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए बाद में विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया और उसे पर्याप्त कारण बताए बिना खारिज कर दिया गया।वह प्रार्थना करता है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए और आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दायर तलाक याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल क्रूरता के आधार पर दायर की गई है।पूरी याचिका में व्यभिचार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है।पहली बार, ऐसा आरोप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को संबोधित दिनांक 24.1.2024 के आवेदन में लगाया गया था और इसे दिनांक 30.11.2023 के बाद के आवेदन में दोहराया गया था।पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता और साक्षीयो के कथन दर्ज किए गए थे जहाँ इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।जब पुलिस अधिकारियों द्वारा कॉल विवरण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, तो याचिकाकर्ता ने 12.10.2023 को विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष इसी तरह की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन में, याचिकाकर्ता ने केवल अधिकारियों को उत्तरवादी के मोबाइल नंबर की सीडीआर उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की है और उक्त आवेदन में व्यभिचार के संबंध में कोई आरोप नहीं है।

7. आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि पहली बार याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित तर्क में व्यभिचार के संबंध में आरोप लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उत्तरवादी अपने बहनोई से घंटों बात करती थी और उनके बीच अवैध संबंध हो सकते हैं।हालाँकि, कॉल विवरण अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में सीडीआर की सुसंगतता का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया है।यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि किसी व्यक्ति के कॉल विवरण अभिलेख को अस्पष्ट आरोपों या संदेह के आधार पर न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **के.एस. पुट्टस्वामीएवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2017) 10 एससीसी 1** मामले में,निजता के अधिकार के विवाद्यक पर विचार करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक मौलिक अधिकार माना गया और भाग □□□ में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का एक अभिन्न अंग माना गया। अनुच्छेद 323 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निजता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास शामिल हैं।सुसंगत कंडिका 323 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

"323. निजता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, संतानोत्पत्ति, घर और यौन अभिविन्यास का संरक्षण शामिल है।निजता अकेले रहने के अधिकार का भी प्रतीक है। निजता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और व्यक्ति की अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को मान्यता देती है।जीवनशैली को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विकल्प निजता का अभिन्न अंग हैं।गोपनीयता विविधता की रक्षा करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को मान्यता देती है।यद्यपि गोपनीयता की वैध अपेक्षाएँ अंतरंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र और निजी से सार्वजनिक क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं, फिर भी यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खो जाती या त्याग दी जाती है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है।गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ी होती है क्योंकि यह–6 का एक आवश्यक पहलू है –मनुष्य की गरिमा।"

9. इसी तरह के एक विवाद्यक पर विचार करते हुए, **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, (1997) 1 एससीसी 301, के कंडिका 18 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया:---**

"18.संविधान के तहत निजता के अधिकार को स्वयं परिभाषित नहीं किया गया है।एक अवधारणा के रूप में इसे न्यायिक रूप से परिभाषित करना बहुत व्यापक और नैतिक हो सकता है।किसी मामले में निजता के अधिकार का दावा किया जा सकता है या उसका उल्लंघन किया गया है, यह उस मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।परंतु अपने घर या कार्यालय की गोपनीयता में बिना किसी हस्तक्षेप के टेलीफोन पर बातचीत करने के अधिकार को निश्चित रूप से "निजता के अधिकार" के रूप में दावा किया जा सकता है।टेलीफोन पर बातचीत अक्सर अंतरंग और गोपनीय होती है।टेलीफोन पर बातचीत आधुनिक मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि अधिक से अधिक लोग अपनी जेब में मोबाइल फोन उपकरण रखते हैं। टेलीफोन पर बातचीत मनुष्य के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।निजता के अधिकार में निश्चित रूप से घर या कार्यालय की गोपनीयता में टेलीफोन पर बातचीत भी शामिल है।इस प्रकार, टेलीफोन टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति न दी जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री 'एक्स' बनाम अस्पताल 'जेड', एआईआर 1999 एससी 495 के मामले में पैरा 27 और 28 में निम्नानुसार निर्णय अभिनिर्धारित किया :------

"27. निजता का अधिकार, अनुबंध के अलावा, किसी विशिष्ट संबंध से भी उत्पन्न हो सकता है, जो व्यावसायिक, वैवाहिक या राजनीतिक भी हो सकता है।जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, डॉक्टर-रोगी संबंध, मूलतः व्यावसायिक होते हुए भी, व्यावसायिक रूप से विश्वास का विषय है और इसलिए, डॉक्टर नैतिक और नैतिक रूप से गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।ऐसी स्थिति में, सच्चे निजी तथ्यों का भी सार्वजनिक प्रकटीकरण निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जिससे कभी-कभी एक व्यक्ति के "अकेले रहने के अधिकार" और दूसरे व्यक्ति के सूचित किए जाने के अधिकार के बीच टकराव हो सकता है।

28. सत्य निजी तथ्य का खुलासा भी व्यक्ति की शांति भंग कर सकता है।इससे उसमें कई तरह की जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं।इसके बाद, उसका पूरा जीवन अशांत रह सकता है।इन संभावनाओं को देखते हुए, और जैसा कि इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में पहले ही कहा है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।हालाँकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अपराध की रोकथाम, स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा में व्यवधान या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इसे विधिक रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।"

11. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा विवाह विच्छेद के लिए दायर याचिका में व्यभिचार का कोई आरोप नहीं है।लिखित तर्क में इस तरह के आरोप पहली बार लगाए गए हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा कॉल विवरण अभिलेख मांगने के लिए दायर आवेदन में व्यभिचार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

12. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है, निजता के अधिकार में व्यक्तिगत अंतरंगता, विवाह की पवित्रता और यौन अभिविन्यास का संरक्षण शामिल है, इसलिए, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया। अपने घर या कार्यालय की गोपनीयता में बिना किसी हस्तक्षेप के मोबाइल पर बातचीत करने का अधिकार निश्चित रूप से निजता के अधिकार के तहत संरक्षित है।ऐसी बातचीत अक्सर अंतरंग और गोपनीय प्रकृति की होती है और किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है।

13. हमारे संविधान में पति और पत्नी दोनों को अपने वैवाहिक जीवन में निजता का मौलिक अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।इसका अर्थ है कि कोई भी पति या पत्नी मनमाने ढंग से दूसरे के निजी स्थान, स्वायत्तता और संचार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हालाँकि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन शामिल होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों का हनन नहीं करता है।विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, संचार और निजी सामान तक स्वतः पहुँच प्रदान नहीं करता है।पति, पत्नी को अपने मोबाइल फोन या बैंक खाते के पासवर्ड साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और ऐसा कृत्य निजता का उल्लंघन और संभावित रूप से घरेलू हिंसा माना जाएगा। वैवाहिक निजता और पारदर्शिता की आवश्यकता तथा साथ ही रिश्ते में विश्वास के बीच संतुलन होना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ता द्वारा कॉल विवरण अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने से उत्तरवादी के निजता के अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

15. उपर्युक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, मुझे विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता है।तदनुसार, याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-

(राकेश मोहन पांडे)

न्यायाधीश

हेडनोट :---

"गोपनीयता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से उत्पन्न होता है।इसमें व्यक्तिगत अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास का संरक्षण शामिल है।इस अधिकार में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur